International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

बुक्सा अनुसूचित जनजाति (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) के सामाजिक जीवन का विश्लेषण

डा. श्याम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग हिन्दू कालेज, मुरादाबाद (उ. प्र.) सार

भारत को जनजातियों का देष भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल 121,01,93,422 जनसंख्या में से जनजातीय समूहों की जनसंख्या 10,42,81,034 व्यक्ति है जो कि देष की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिषत है। संविधान आदेष 1950 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में जनजातियों की एक अलग अनुसूची सं. 5 व 6 बनायी गई। इनमें से पांचवीं अनुसूची में देषभर की वन व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अनुसूची में दर्ज करके उनके षैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक—सांस्कृतिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विविध सहायता, अनुदान आदि के कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। भारत की कतिपय आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षमताओं की कमी के कारण इनके विकास की न तो प्रभावषाली व परिवर्तनकारी योजनाएं बनायी जा सकीं और न ही उनका ईमानदारी से अनुपालन व निगरानी हो सकी जिस कारण कुछ क्षेत्रों के निवासी जनजातीय समुदाय अपेक्षित विकास की धारा में गतिमान नहीं हो सके। विभिन्न विषेषज्ञ समितियों की सिफारिषों के अनुसार घोषित कुल अनुसूचित जनजातियों में से 75 जनजातीय समूहों का विषेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG- Particulary Vulnerable Tribal Group) में वर्गीकृत किया गया। उत्तर प्रदेष और उत्तराखण्ड में निवासरत बुक्सा अनुसूचित जनजाति को इस वर्ग में रखा गया है। इस षोधपत्र में उत्तराखण्ड राज्य के ऊधमसिंहनगर जनपद में निवासरत बुक्सा अनुसूचित जनजाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्दावली

संविधान	अनुसूची	पधान	परिवार	कुटुम्ब	गोत्र		
आसामी	स्वांग	रामबाग	विवाह	घरबैठा विवाह	मृदंग		
	शोध-पत्र						

भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। अनुच्छेद 342 में यह कहा गया है कि ''केवल वे समुदाय जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रारम्भिक लोक अधिसूचना द्वारा या संसद के अधिनियम में अनवर्ती संषोधन के जिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जाएगे।''

^{© 2021} by The Author(s). Constant ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

अनुस्चित जनजाति का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित लोकुर समिति ने पाँच लक्षण या षर्तें निर्धारित कीं— 1. आदिम जनजातीय गुण। 2. अनूठी संस्कृति। 3. आम लोगों से सम्पर्क करने से कतराना। 4. भौगोलिक अलगाव और 5. पिछड़ापन। वर्तमान समय में भारत में 500 से अधिक जनजातीय समूह देष के लगभग 15 प्रतिषत क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ी और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। सरकारी प्रयासों और स्वतःस्फूर्ति से कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्य धारा की षैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर देषभर में 75 ऐसे जनजातीय समूह हैं जिन्हें 1. कृषि—पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, 2. स्थर अथवा घटती हुई जनसंख्या, 3. बहुत ही कम साक्षरता और 4. अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर आदि लक्षणों के आधार पर पहले आदिम जनजातीय समूह (PTG- Primitive Tribal Group) और अब विषेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) में रखा जाता है। 1967 ई0 में बुक्सा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति और पुनः 1980 में आदिम जनजाति समूह (पीटीजी) और अब विषेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा गया है।

वर्तमान अध्ययन क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के उधमसिंहनगर जनपद के पिष्विमी भाग में 28° 35' से 29° 20' उत्तर अक्षांष तथा 78° 45' पूर्व से 80° 15' पूर्व देषान्तर के मध्य स्थित है (मानचित्र सं. 1 व 2)।


सारणी सं. : 1 बुक्सा आदिम जनजाति का निवास क्षेत्र एवं जनसंख्या (जनपद उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड)

क्रम	तहसील / विकास	बुक्सा ग्रामों	परिवारों की	बुक्सा जनसंख्या		
	खण्ड	की संख्या	संख्या	कुल	पुरूष	महिला
1	गदरपुर	54	2,843	12,649	6,359	6,290
2	बाजपुर	56	2,247	11,064	5,387	5,677
3	काषीपुर	3	74	305	144	161
योग		113	5,164	24,018	11,890	12,128

स्रातः स्वयं क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएं।

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal




मानचित्र संख्या- 01

© 2021 by The Author(s). CINY ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29


Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal



मानचित्र संख्या- 02

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal



मानचित्र सं0 03: ऊधमसिंहनगर जनपद (उत्तराखण्ड) में बुक्सा जनजाति के निवास क्षेत्र

सामाजिक जीवन

1. सामाजिक जीवनः

बुक्सा आदिम जनजाति समूह सामान्यतया जाति या वर्ग विहीन जनजाति है। यह समाज विभिन्न गोत्रों—कुटुम्बों में बँटा हुआ है। इसमें सभी गोत्र व उसके सदस्य समान हैं। इनमें कोई उपजाति नहीं पायी जाती है। परिवार, कुटुम्ब, गाँव और गोत्र इस समाज के प्रमुख अंग हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

क- परिवार

परिवार बुक्सा आदिम जनजाति के सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है। भारतीय सामाजिक परिवेष की भाँति इस जनजाति के परिवार का स्वरूप अभो भी लगभग संयुक्त या अर्द्ध संयुक्त प्रकार का ही है। यद्यपि अब एकाकी परिवार भी बहुतायत में मिलते हैं। अधिकतर परिवारों में आर्थिक व सामाजिक कारणों से अर्द्ध संयुक्त परिवार के गुण पाए जाते हैं। ऐसे अर्द्ध संयुक्त परिवार में एक माता—पिता की अविवाहित पुत्रियां, पुत्र और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे लगभग तीन से चार पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। एक ही अविभाजित भूखण्ड इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत होता है। वर्तमान समय में बदलते परिवेष के अनुरूप संयुक्त व बड़े परिवार लगभग न के बराबर ही मिलते हैं। दूसरी

^{© 2021} by The Author(s).
© ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

ओर आजीविका के प्रमुख साधन कृषि भूमि के इनके हाथ से निकल जाने या पारिवारिक उपविभाजन के कारण अब इस जनजाति में भी एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे एकाकी परिवारों में एक विवाहित युगल और उसके अविवाहित पुत्र—पुत्रियां व कभी—कभी नविवाहित दम्पत्ति सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक दम्पत्ति अपने पुत्र—पुत्रियों का विवाह सम्पन्न कराकर उन्हें सामान्यतः अपनी आजीविका कमाकर अपने परिवार— पत्नी व बच्चों की परवरिष करने हेतु अलग कर दिया जाता है। सामान्यतः ऐसे एकाकी परिवारों में रहने के घर के अलावा कोई और चल—अचल सम्पत्ति न होने के कारण परिवार का विभाजन अति साधारण रूप से हो जाता है। इसके विपरीत सम्पत्तियुक्त परिवारों में पारिवारिक विभाजन में सामान्यतया समुदाय के संभ्रान्त व्यक्तियों, नाते—रिष्तेदारों की उपस्थिति में ही विभाजन हो पाता है। कई परिवारों में कोर्ट—कचहरी के माध्यम से भी पारिवारिक विभाजन किए जाने की नौबत आ चुकी है। तथापि अधिकांष पारिवारिक विभाजन आपसी बातचीत और सामाजिक समझौते के माध्यम से ही होते हैं।

ख— कुटुम्बः

परिवार के बाद बुक्सा आदिम जनजाति के सामाजिक जीवन की दूसरी इकाई कुटुम्ब या टब्बर होता है। इसमें एक ही ज्ञात पूर्वज को विभिन्न पीढ़ियों के वंषज सम्मिलित होते हैं। एक टब्बर के सदस्य एक से अधिक गाँवों में निवास करते हैं। इसमें कई पीढ़ियों के सैंकड़ों सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके सदस्यों में आपसी घनिष्ठ रक्त सम्बन्ध होता है। ये सदस्य परस्पर विभिन्न रिष्तों से बँधे होते हैं। एक टब्बर के सदस्यों में वैवाहिक सम्बन्ध निषद्ध होता है। ये सम्बन्ध पितृपक्षीय सम्बन्ध कहलाते हैं। ये सम्बन्ध प्रायः परदादा— परदादी, दादा—दादी, पोता—पोती, ताऊ—ताई, चाचा—चाची, अविवाहित बुआ, भाई—भाई, भतीजा—भतीजी इत्यादि होते हैं। विषेष अवसर पूजा—पाठ, खुषी, मंगल या गमी (मृत्यु) के अवसर पर पूरा कुटुम्ब एकत्रित होकर खुषी व गम मनाते हैं। एक ही गाँव में एक से अधिक कुटुम्ब या टब्बर के सदस्य निवास करते हैं तथापि प्रत्येक गाँव में एक कुटुम्ब प्रभावी होता है। सामान्यतया वही कुटुम्ब या उसका कोई पूर्वज उस गाँव का संस्थापक होता है।

ग. गाँवः

कुटुम्ब के बाद **गाँव** बुक्सा आदिम जनजाति के सामाजिक जीवन की तीसरी महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें विभिन्न टब्बरों व गोत्रों के लोग अगल—बगल अपना—अपना आवास बनाकर आपसी सौहार्द्र के साथ निवास करते हैं। गाँव का सर्वप्रधान व्यक्ति "प्रधान" या "पधान" कहलाता है। आजादी से पूर्व किसी ग्राम की स्थापना के समय प्रधान को ही एक गाँव की सम्पूर्ण भूमि आवंटित की जाती थी जो अपने विवेक से अन्य ग्रामवासियों जिन्हें "आसामी" कहा जाता था को उस भूमि का वितरण करता था। वर्तमान प्रधान या उसका पूर्वज हो गाँव का संस्थापक होता है। प्रधान का पद वंषानुगत होता है।

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

सामान्यतया प्रधान का बड़ा पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है। किसी तरह से अक्षम या उसके दुर्गुणी होने पर ही उसके दूसरे पुत्र को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। प्रधान के पुत्रहीन होने पर उसके भाई या भाई के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकार बना दिया जाता है। किसी गाँव विषेष में विवाद होने पर कुछ टब्बर या परिवार अलग होकर अपना पृथक प्रधान भी चुन लेते हैं। प्रधान गाँव में परम्परागत पूजा—पाठ, पंचायतों आदि में प्रमुख पुजारी या संरपंच की भूमिका निभाता है। उसके सम्मान में ग्रामवासियों के यहाँ खुषी या पारिवारिक पूजा—पाठ के अवसर पर उसे लगभग दोगुना प्रसाद आदि भेंट किया जाता है। आधुनिक पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना और कितपय अन्य कारणों से बुक्सा आदिम जनजाित के सामाजिक जीवन की यह प्रमुख इकाई "पधान" पद अपना महत्व खोता जा रहा है। इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण सामान्यतया प्रधान परिवारों का अपेक्षतया तेजी से निर्धन होना माना जा सकता है। ग्रामस्तर पर पारिवारिक व अन्य विवादों का निर्णय प्रधान ही कुछ सम्भ्रान्त, समझदार व अनुभवी लोगों के साथ करता था जिसको स्वीकार करना सम्बन्धितों के लिए बाध्यकारी होता था। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण मूल गाँव में स्थान की कमी के कारण लगभग सभी मूल गाँव के मजरे या उपगाँव विकसित हो गए हैं। मूल गाँव के कुछ सदस्य ही और कभी—कभी किसी अन्य गाँव के कुछ निकट सम्बन्धी परिवार भी इन उपगाँवों में आकर बस जाते हैं।

घ. गोत्रः

गोत्र बुक्सा आदिम जनजाति समाज की चौथी बड़ी सामाजिक इकाई है। उत्तर प्रदेष और उत्तराखण्ड का समस्त बुक्सा जनजाति समुदाय लगभग 60 गोत्रों में बँटा हुआ है। उधमसिंहनगर और नैनीताल म निवासरत बुक्सा जनजाति के लोग 28—30 गोत्रों में विभाजित हैं। सामान्यतया काफी लम्बे समय पहले किसी व्यक्ति विषेष द्वारा बसाए गए गाँव के नाम पर एक गोत्र का नामकरण किया गया है। उस गाँव के सभी बासिन्दे चाहे वे अब किसी भी गाँव में निवासरत हों एक ही गोत्र के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। एक गोत्र के लोग आपस में विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं करते हैं। गोत्र का निर्धारण पुरूष के गोत्र से होता है। अविवाहित युवती का गोत्र उसके पिता का गोत्र माना जाता है। विवाह के बाद नविवाहिता को वर पक्ष के परिवार के वयोवृद्ध बुजुर्ग के द्वारा गुड़ से बनी मीठी खीर खिलाकर एक खास रस्म "गोत्र में डालने" की रस्म पूरी करके पित के गोत्र में सम्मिलत कर लिया जाता है। भीकमपुरिया, सकतपुरिया, राजौरिया, बेरियावाले, महोलावाले, महोलीवाले, चनानवाले, ढरावाले, पलसियावाले, मदनपुरिया, मटकोटिया, निगोडी, कमोरावाले, जोगीपुरिया, गुलजारपुरिया, सिहालीवाले, इंडवारिया, राजौरिया, पौलगड़िया, गोवरावाले, वरुआवाले, षिषौनावाले, जगावाले, मीठी बेरवाले, हस्तानवाले, चौरासीवाले, चौहान या नाईवाले, मेहता बिनया, जूँड़कावाले इत्यादि कुमाऊँ मण्डल के बुक्सा आदिम जनजाित के प्रमुख गोत्र हैं।

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

2. अन्य विशेषताएं-

उपरोक्त के साथ ही बुक्सा आदिम जनजाति समाज में निम्न वर्णित लक्षण भी सामाजिक जीवन की प्रमुख विषेषताएं हैं—

क. मेहमानबाजीः

बुक्सा जनजाति के लोग अपनी मेहमानबाजी के लिए सुप्रसिद्ध हैं। परिवार में निकट सम्बन्धी या घनिष्ठ मित्र क आगमन पर घरों को सुगन्धित मिट्टी से लेपा जाता है। पुरूष मेहमानों के लिए चारपाई में सुन्दर व नयी दरी या गद्दा बिछाकर उसमें रजाई की तिकया लगाई जाती है। प्रायः प्रत्येक प्रौढ़ पुरूष मेहमान के लिए क्षमतानुसार अलग चारपाई सजाई जाती है। महिलाओं को हाथ से बनाए हुए मुदरा या चटाई पर नई सुन्दर दरी बिछाकर जमीन पर बिठाया जाता है। उल्लेख्य है कि कितपय कारणों से महिलाओं को पुरूषों के सामने चारपाई पर नहीं बिठाया जाता है। सोने के लिए महिला—पुरूष सभी को चारपाई पर नए—नए गद्दों के बिस्तर पर सुलाया जाता है। किसो परिवार में मेहमानों के आने पर निकटवर्ती सभी परिवारों व उनके सम्बन्धित व्यक्ति उनसे प्रेमपूर्वक मिलने आते हैं। कुछ अति निकट के परिवारी जन बारी—बारी से मेहमानों को अपने यहाँ भोजन भी कराते हैं जिसे ''नौहता'' कहते हैं। मेहमानों की विदाई के समय परिवार व कुटुम्ब के सदस्य आदरस्वरूप मेहमानों को गाँव की सीमा तक छोड़ने जाते हैं। बच्चों व नविवाहित पुत्रियों व बहुओं को दोनों पक्ष नकद रूपए या वस्त्र भेंट करते हैं।

ख. कला-संस्कृतिः

कला व संस्कृति की दृष्टि से बुक्सा आदिम जनजाति को धनी माना जा सकता है। जनजातीय स्वभाव के साथ—साथ इस जनजाति की कला व संस्कृति हिन्दू धर्म के अधिक निकट है। कठिन भौगोलिक परिवेष के अनुरूप इस जनजाति का प्रत्येक पुरूष व महिला गृहोपयोगी कार्यों में दक्ष होता है। उपलब्ध निर्माण सामग्री से घर बनाने, उसकी लिपाई—पुताई, चित्रकारी करने आदि म इस जनजाति की महिला व पुरूष समान रूप से कुषल व दक्ष होते हैं। आधुनिक गृहोपयोगी सामानों व पात्रों की अनुपस्थिति में कुछ समय पूर्व तक इस समुदाय के पुरूष लकड़ी व लोहे के उपकरण हल, जुआ, गाड़ी, चारपाई, तख्त, खिलौने बनाने और महिलाऐं व युवितयां वस्त्र सिलने, रस्सी, बान, पगहा, डिलया व अन्य पात्र बनाने में दक्ष होती थीं। फुरसत के क्षणों में आज भी इस समुदाय की स्त्रियां व युवितयां भोजन व अन्य सामग्री रखने के लिए डिलया, हाथ से हवा करने के पंखे, गुलदस्ते व अन्य गृहोपयोगी पात्र आदि बनाती हुई मिलती हैं। कपड़ा बुनने, नमक बनाने के अलावा लगभग सभी प्रकार की आवष्यक वस्तुओं को बनाने की षिल्पकला में इस जनजाति के लोग काफी दक्ष होते हैं।

माँ बाल-सुन्दरी देवी के पीपलीवन और काषीपुर स्थित मन्दिर बुक्सा आदिम जनजाति के

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

विषेष श्रृद्धा के केन्द्र हैं। इसके साथ ही रामबाग (दिनेषपुर) और झारखण्डी (हरसान) स्थित षिव मन्दिर, फद्रपुर स्थित अटरिया मन्दिर, मनीराम, गुलड़िया सिद्ध, सीतावनी (रामनगर) डलपुरा, बुक्सौरा, खानपुर में स्थित मन्दिर, प्रत्येक गाँव में स्थित भूमसेन व अन्य आराध्यों के थान या स्थान विषेष श्रृद्धा के स्थल हैं। बुक्सा आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार के मुख्य घर में रसोई के एक कोने में आराध्य देवी का एक पवित्र स्थान बनाया जाता है जिस पर घर की बहू या अविवाहित कन्या रोजाना सुबह स्थानीय रूप से उपलब्ध सफेद मिट्टी ''पंगा'' का घोल लेपती है। यही घोल बाद में पूरी रसोई पर लेपा जाता है। देवी के इस स्थान पर सिर्फ कुटुम्ब के लोग ही प्रवेष करते हैं। प्रसूता व माहवारीयुक्त महिला और बाहरी लोगों का यहाँ पर प्रवेष निषद्ध होता है।

उपरोक्त श्रृद्धा स्थलों पर विभिन्न अवसरों पर पूजा व मेलों का आयोजन होता है। कर्मकाण्डों, पूजा आदि के साथ ही इन मेलों में खिलौनों व गृहोपयोगी सामान की खरीददारी की जाती है।

ग. महिलाओं की स्थितिः

बुक्सा आदिम जनजाति समाज में महिलाओं को पर्याप्त महत्व दिया जाता है तथापि परिवारों का स्वरूप पितृसत्तात्मक है। इनमें विवाहोपरान्त वधू पित के घर आकर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती है। सामान्यतया पारिवारिक सम्पित्त में पुत्री या बहू का कोई अधिकार नहीं होता है किन्तु विवाह व अन्य सुअवसरों, त्यौहारों के समय महिलाओं को उनके मायके की ओर से जीवनभर उपहार दिए जाते रहते हैं। होली, दिवाली व अन्य अवसरों पर महिलाओं को खासकर नविवाहिताओं—दामादों व बाद में उनके अविवाहित बच्चों को उनके मायके वाले— पिता, भाई, भतीजे आदि अपने घर बुलाते हैं और त्यौहार बीतने पर उन्हें उपहारों के साथ पूड़ी—पकवान देकर विदा करते हैं। होली—दिवाली आदि त्यौहारों पर ता पूरा बुक्सा समाज अपने पुत्री—दामादों व उनके अविवाहित पुत्र—पुत्रियों को बुलाने में लगा रहता है। माता—पिता व अन्य सगे—सम्बन्धियों द्वारा विवाह व समय—समय पर भेंट की गयी सम्पित्त पर महिलाओं का पूरा अधिकार होता है जो पारिवारिक विभाजन के समय सम्बन्धित महिलाओं को सौंप दिए जाते हैं। एक मात्र पुत्री होने या पुत्र के अभाव में पिता की पूरी सम्पित्त पर पुत्रियों और उनके पित, बच्चों का अधिकार होता है। कभी—कभी अधिक सम्पित्त वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सम्पित्त का बंटवारा पुत्रों के साथ—साथ पुत्रियों में भी कर देता है या एकाध पुत्री या बहन के लिए घर जंवाई बुलाकर उसे अपनी सम्पित्त का कुछ हिस्सा दे देता है।

कृषि व आजीविका सम्बन्धी कार्यों में महिलाएं बढ़—चढ़कर हिस्सा लेती हैं। भूमिहीन खेतीहर मजदूर की स्थिति में आ चुके परिवारों की महिलाएं, पुरूष, बच्चे एक साथ खेतों में कार्य करते मिल जाते हैं। इसके अलावा घर की साफ—सफाई, रंगाई—पुताई, मरम्मत, सजावट, नया घर बनाना, पषुओं की देखभाल, पषुओं से दूध दूहना, मेहमानों की आवभगत करना, बाजार से खरीददारी करना, उपज का

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

भण्डारण करना, बाजार में बेचना, अनाज की कुटाई—िपसाई कराना, शादी—िववाह व अन्य उत्सवों के अवसरों पर सामूहिक भोजन तैयार करना आदि कार्यों में मिहलाएं बढ़—चढ़कर हाथ बंटाती हैं। सम्पन्नता और विपन्नता, िषक्षित और निरक्षर होने के बाद भी बुक्सा जनजाति की मिहलाएं चिरित्रवान, स्वाभिमानी, साहसी, नैतिक और षारीरिक रूप से बिलष्ट होती हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात और अन्य किटन मौसम में भी ये मिहलाएं बिना थके दिनभर घरों व खेतों—खिलहानों में पुरूषों के साथ किटन श्रम करती हैं। पित के निर्धन, गरीब, आलसी, कामचोर, नषाखोर व दुर्व्यसनी होने पर भी ये मिहलाएं जीवनभर उसके साथ रहकर परिवार की देखभाल करती हैं। धूम्रपान को छोड़ दिया जाए तो इस समुदाय की मिहलाएं किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहती हैं। वर्तमान युग की नयी पीढ़ी की मिहलाएं—युवक—युवितयां तो सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले हुक्के, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खेनी आदि के सेवन से दूर ही रहते हैं।

बुक्सा समाज में पर्दा प्रथा साधारण रूप से प्रचलित है। घर की नवविवाहित बहुएं सामान्यतया और अन्य महिलाएं ससुर, जेठ, ननदोई, समधी आदि के सम्मुख मुँह को साड़ी या धोती के पल्लू से ढंक लेती हैं और उनके सामने चारपाई आदि पर नहीं बैठती हैं। ये महिलाएं उपरोक्त सभी बड़ों व आदरणीय लोगों का चरणस्पर्ष करती है। ननद, सास और पुत्री की सास के भी चरणस्पर्ष करके उनका सम्मान किया जाता है। अन्य महिलाएं व अविवाहित युवितयां सामान्यतया किसी का चरणस्पर्ष या उनस पर्दा नहीं करती हैं।

घ. विवाह संस्कारः

बुक्सा आदिम जनजाति में विवाह का जीवन में विषेष महत्व है। प्राचीन समय में परिस्थितियों वष विवाह के अनेक रूप प्रचलित थे। किन्तु वर्तमान समय में समकालीन समाजों के प्रभाव स्वरूप हिन्दू विधि—रीति के विवाह ही प्रचलित हैं। विवाह का मुख्य उद्देष्य एक जीव के रूप में युगल या जोड़ा बनाने के साथ ही पारिवारिक—सामाजिक—धार्मिक व कर्मकाण्डीय दायित्वों का निर्वहन कर भावी पीढ़ी को जन्म देना और उनका लालन—पालन करना होता है। विद्वानों के अनुसार बुक्सा जनजाति समाज में देव विवाह, हरण विवाह, हठ विवाह, गंदर्भ विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह, सहपालन विवाह, परीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह, देवर—भाभी विवाह, घर—बैठा विवाह आदि प्रचलित हैं। विधवा विवाह भी परिस्थितियों के अनुसार प्रचलित हैं। विवाह को सामान्यतया युवक—युवती के सम्बन्धों के साथ ही परिवार व नाते—रिष्तेदारों में विविध सम्बन्धों का सूत्र माना जाता है। विवाह सम्बन्ध स्थापित होने पर दोनों परिवार के सभी सदस्य व सगे—सम्बन्धी नऐ रिष्तों में बंध जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न पीढ़ियों के वैवाहिक रिष्तों के आधार पर लगभग पूरा बुक्सा समाज आपस में विविध रिष्ते—नातों से एक जाल के रूप में बंधा हुआ है। किन्हीं दो परिवारों व कुटुम्बों के रिष्ते वैवाहिक सम्बन्धों के आधार पर नया रूप प्राप्त कर लेते हैं।

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

ड़. लोक नृत्यः

सिनेमा, टेलीविजन, डिष कनेक्षन के प्रचलन से पूर्व बुक्सा आदिम जनजाति के लोग सगाई के खास अवसर पर बड़े उल्लास के साथ लोकनृत्य— नाच व स्वांग का आयोजन करते थे। इस विद्या में निपुण लोग वर्षभर विविध अवसरों पर नाच व स्वांग का आयोजन करते रहते थे। मृदंग, छैना, मजीरा आदि की ताल पर जनजातीय गीतों पर पुरूष नचिनया बड़े ही निपुण ढंग से मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करते थे। उधमसिंहनगर व नैनीताल जनपद में बुक्सा जनजाति के दो—चार नचिनया आज भी अपने लोकनृत्य को षाखत बनाए हुए हैं। मृदंग बाजक के दोनों ओर चार—चार या इससे अधिक पुरूष पीतल के बने छैनों को बजाते और बारी—बारी से सुर—ताल व लय के साथ नाच के गोत गाते हुए चलते हैं। एक या एक से अधिक नचिनया उनके आगे—आगे नाचते हुए चलते हैं। नाच के साथ स्थानीय प्रकरणों, समस्याओं, प्रसंगों पर हास्य—व्यंग्यात्मक स्वांगीय प्रस्तुति दर्षकों में बड़ा ही रोमांच भर देता है। एक या अधिक पुरूष विभिन्न प्रकार से अपने चेहरे व षरोर के विभिन्न अंगों को तरह—तरह से रंगों व वस्त्रों से सजाकर, भद्दा व कलात्मक बनाकर हास्य—व्यंग्य की षैली में नाटक के रूप में विभिन्न लघु कथानकों की बुक्सारी भाषा में हिन्दी, उर्दू, पंजाबी व अन्य आस—पास के लागों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और अंग्रेजी षब्दों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुति करते हैं। जिन्हें सुन—देखकर दर्षक हंसते—हंसते लोट—पोट हो जाते हैं। बदलते परिवेष और निर्धनता के कारण बुक्सा समाज का यह लोक नृत्य और स्वांग अब लगभग लुप्त प्राय हो चुका है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नेषफील्ड, जे0 सी0, 1865 : डिस्क्रिप्सन आफ दी मैनर्स, इण्डस्ट्रीज एण्ड रिलिजन आफ दी

थारू एण्ड बुक्सा ट्राइब्सए रिब्यू वाल्यूम ३, कलकत्ता।

2. हसन, अमीर, 1979 : बुक्साज आफ तराई, दिल्ली।

3. षुक्ल, रामजीत, 1981 : उत्तर प्रदेष की बुक्सा जनजाति, संजय प्रकाषन, वाराणसी।

4. श्रीवास्तव, ए० आर० एन०, 1965 : उत्तर प्रदेष की जनजातियाँ, इलाहाबाद।

5. सिंह, आर0 एल0, 1992 : द तराई रीजन आफ उत्तर प्रदेष, इलाहाबाद।

6. चन्द्र, जगदीष 1993 : लोक संस्कृति एवं आधुनिकीकरणः कुमाऊँ क्षेत्र के थारू और

बुक्सा जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन (अप्रकाषित षोध

प्रबन्ध), बरेली।

7. पाण्डे, नित्यानन्द, २००० : बुक्सा जनजाति के सामाजिक—आर्थिक स्थिति का विष्लेषणात्मक

अध्ययन, (अप्रकाषित षोध प्रबन्ध), देहरादून।

^{© 2021} by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

International Journal of Economic Perspectives, 15(6), 18-29

Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

8. मजूदार, डी० एन०, 1937 : ए ट्राइब इन ट्रांजिषनः ए स्टडी इन कल्चरल पैटर्नस्, दिल्ली।

9. नायडू, पी० आर०, २००२ : भारत के आदिवासी– विकास की समस्याऐं, नई दिल्ली।

10. हुसैन, माजिद, 1999 : मानव भूगोल, जयपुर।

11. मौर्य, डी० एस०, २००७ : सामाजिक भूगोल, इलाहाबाद।

12. रावत, महेन्द्र सिंह 2014 : उत्तराखण्ड— समग्र अध्ययन, एरिहन्त पब्लिकेषन्स (इण्डिया) लि.

मेरठ।

13. नेगी, गिरधर एवं जोषी 2013: हिमालय की तराई के प्रकृतिपुत्र— बुक्सा आदिम जनजाति का

समग्र अध्ययन, मल्लिका बुक्स, दिल्ली।

14. ग्वाल, सी. एस. २०१२ : जन प्रहरी, (स्मारिका) उत्तराखण्ड अन्. जनजाति कल्याण

समिति, देहरादून द्वारा प्रकाषित।

15. Hoebel, E. A. 1958 : Man in Primitive World, McGraw Hill, New York.

16. Tiwari, D. N. 1984 : Primitive Tribals of Madhya Pradesh, Home Deptt. Tribal

Devlopment, New Delhi.

17. Mahapatro, P. C. 1987 : Economic Development of Tribal India, New Delhi.

Reports

Saklani, B. 2005: Buksha: A primitive Tribal Group of Garhwal- A Baseline Survey, Sponsored

by Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.

2006 : Baseline Survey of Buksha & Raji Primitive Tribal Group in Nainital, Udhamsingh

Nagar & Champawat Districts of Uttaranchal, Vol. I, II, & III. Sponsored by

Uttaranchal Bahuddeshiya Vitt Ewam Vikas Nigam, Deharadun.

MTA: Ministry of Tribal Affairs, Annual Reports 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10,

2010-11, 2011-12

Websites: Wikipedia Encyclopedia., mta.gov.in, uk.gov.in, usn.nic.in, censusofindia